कार्ड का ऋण ले लिया था जिसको किशनलाल ने जमा नहीं करवाया बैंक द्वारा वसूली की तो हम सायलानों द्वारा उक्त ऋण को चुकता करना पडा । लेकिन प्रार्थी सं0 2 ने दिनांक 18.04.2016 को उक्त आराजीयात मे से बिना बंटवारें के ही बैंक का ऋण लेने से मना किया तो अप्रार्थी नं0 01 कहने लगा कि मेरे पिताजी को ले जाकर बैंक से ऋण लूगा । अप्रार्थीगण प्रार्थी की हिस्से की आराजीया तमे दखलनदाज करने पर एवं ऋण लेने पर आमादा है। इसलिए प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबंद करने का निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थी ने अपना स्वयं का शपथ पत्र एवं फोटोकॉपी जमाबंदी पेश की है।

वकील प्रार्थी को सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। वर्णित तथ्यों से प्रथम दृष्ट्या आश्वस्त हो अप्रार्थीगण को आगामी तारीख पेशी तक के लिए जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि ग्राम भरतून तहसील सपोटरा के आराजी खसरा नं0 845/587,583,694,154/2, 177,853,854,147,596,656,679,855,856,664,690 ,691 को रहन वय ना करे तथा ना नही दीगर व्यक्ति से करावें । मौके एवं रिकार्ड की स्थिति यथावत बनाये रखे। प्रार्थना पत्र प्रार्थी दर्ज रजिस्टर हो। तलबी अप्रार्थीगण जरिये नोटिस की जाकर पत्रावली दिनांक 16.06.2016 को पेश हो। [signature]

उप जिला कलक्टर
सपोटरा, जिला-करौली

13/5/16

नि० किशनलाल

कासम

मानसिंह

पत्रावली आज लोक अदालत में पेश हुई। अप्रार्थी सं. 1, 2 तथा 8 उपस्थित आये। प्रकरण को कोर्ट ... में रखा जाकर सुनाया। उपस्थित अप्रार्थीगण को सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण का कथन है कि विवादित आराजीयात में से प्रार्थीगण के हिस्से की पाबंदी यथावत रखी जाकर अप्रार्थीगण के हिस्से की आराजीयात को अस्थाई निषेधाज्ञा की पाबंदी हटा दी जावे।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण को

[signature]

रामखोरी वगैरा बनाम कमला वगैरा

नम्बर व तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाहीमदे इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	रा० आस्थाई निषेधाज्ञा	
	तफसील बाला अर्जी अस्थाई निषेधाज्ञा के पाबंद किया जाता है कि ग्राम मरतून तहसील सपोटरा के इराजी खसरा नं. 1845/587, 583, 694, 154/2, 177, 853, 854, 147, 596, 656, 679, 855, 856, 664, 690, 691 में प्रार्थीगण के हिस्से तक अप्रार्थीगण रहन बय ना तो स्वयं करे ना ही किसी दीगर से करावे। अप्रार्थीगण अपने हिस्से को रहन बय इत्यादि करने के लिए स्वतंत्र रहेंगे। मिसल बाद लोक अदालत सुनाया गया। प्यावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कटे, एवं शामिल दाखिल हो।	
	[signature]	
	उप खण्ड अधिकारी सपोटरा (करौली)	